non-VFC tobacco under the jurisdiction of Tobacco Board are:

(i) A Bill to amend the Tobacco Board Act to suitably empower the Tobacco Board is likely to be introduced in the Monsoon Session of the Parliament.

(ii) Test auctions for bidi tobacco were held in Nippani, Karnataka, in April, 1990.

(iii) Planning Commission has been moved for budget allocation to undertake work relating to non-Virginia tobacco.

(iv) A Working Group has been constituted to advise the Government on appropriate regulations for taking over non-VFC tobacco. Thi s Working Group held its last meeting in Anand, Gujarat with the bidi tobacco growers, traders and manufcturers on 3rd August, 1990.

(v) It is proposed to hold test auctions for bidi tobacco in Gujarat in 1991 season, provided Tobacco Board is legally empowered and funds are available.

Production of 'ODKA' by Markfed

422. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Punjab Markfed is authorised to produce "ODKA"; and

(b) if so, what are the details thereof and what is the target date of production and also the expected quantity to be produced?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) No, sir:

(b) Does not arise in view of (a) above.

देश में रुग्ण वस्त्र उत्पादक इकाइयों की संख्या

423. **डा० रत्नाकर पाण्डेय:**
श्री बेकल उत्साही:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रुग्ण वस्त्र उत्पादक इकाइयों की संख्या कितनी है और ये कहां अवस्थित हैं;

(ख) इन इकाइयों में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(ग) उन्हें कार्यक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**)

(ख) यह जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) सरकार ने रुग्ण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से पैकेज बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए एक नौडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए निवारक सुधारात्मक तथा उपचारी उपाय निर्धारित तथा लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्स्थापना बोर्ड की स्थापना भी की है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1988 के अन्त तक की स्थिति अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार 226 मिलों को रुग्ण मिलों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन रुग्ण मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	4

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
2. बिहार	3
3. चंडीगढ़	3
4. गुजरात	54
5. हरियाणा	7
6. कर्नाटक	12
7. केरल	5
8. महाराष्ट्र	57
9. मध्य प्रदेश	8
10. उड़ीसा	1
11. पंजाब	7
12. राजस्थान	16
13. तमिलनाडु	22
14. उत्तर प्रदेश	10
15. पश्चिम बंगाल	13
संघ शासित क्षेत्र	
16. दिल्ली	3
17. गोवा	1
योग :	226

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना

424. **श्री बेकल उत्साही:** क्या विधि और न्याय मंत्री 15 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं॰ 297 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में निर्णय करने हेतु एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग की स्थापना के सिलसिले में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी): सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग स्थापित करने के लिए 18-5-1990 को लोक सभा में संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990 पुरःस्थापित किया है।

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

425. **श्रीमती रत्न कुमारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) जी, नहीं।

भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मकार कर्मचारियों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है। तथापि, कोई समझौता नहीं हो सका है।

(ख) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

Trade Between India and China

426. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any trade agreement has been signed between India and China recently; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) No, sir. However, on the conclusion of the first meeting of the Ministerial India-China Joint Group on Economic Cooperation and Trade, Science & Technology on 20th Sept., 1989, a Trade Protocol was signed.

(b) The Protocol lists items of export interest to both the countries. Iron ore, chrome ore, chemicals, engineering products figure as items of export interest to India. Raw silk, pulses, pig iron are among items of export interest to China.